

I/4206/2023



**SANJAY GANDHI POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL
SCIENCES, RAEBARELI ROAD,
LUCKNOW- 226014**

OFFICE OF THE DIRECTOR

Phones: 0522-2668112, 0522-2494059, 0522-2494001, 0522-2494003, 0522-2494280
FAX: 91-522-2668129

PGI/DIR/DC/134/2023

Date: 21.02.2023

Office order/Dir. Camp
RSD no. 1485/13

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या पी0जी0आई0/मु0चि0अ0/720/2023, दिनांक 21 फरवरी, 2023 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(प्रो० राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर निदेशक
2. संकायाध्यक्ष
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
5. चिकित्सा अधीक्षक
6. कार्यपालक कुलसचिव
7. संयुक्त निदेश (प्रशासन)
8. वित्त अधिकारी
9. विभागाध्यक्ष, बी0एच0आई0 को संस्थान की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित
10. समस्त संकाय सदस्यों, सीनियर रेजिडेन्ट्स, जूनियर रेजिडेन्ट्स, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से सूचनार्थ
11. कार्यालय प्रति।

(प्रो० राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक

I/4206/2023



संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Med. Sciences,
Raibarell Road, Lucknow- 226 014 (U.P.), INDIA
Phones: 0522-2668004-8, 2668700-800-900, Fax: 91-0522- 2668017, 2668078


पत्रांक-पी0जी0आई0/मु0चि0अ0/ 720 /2023

दिनांक : 21 फरवरी, 2023

कार्यालय आदेश


इस संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी स्टाफ के द्वारा संचालित एसोसिएशन/संघों/यूनियन्स/फोरम, कर्मचारी महासंघ एवं कर्मचारी संगठन आदि ट्रेड यूनियन/सोसायटी से पंजीकृत हैं। एसोसिएशन/संघों/यूनियन्स/फोरम, कर्मचारी महासंघ एवं कर्मचारी संगठन आदि से निम्नवत् अपेक्षा की जाती है:-

1. संगठनात्मक क्रियाकलाप, जैसे कि बैठकें, चुनाव एवं अन्य गतिविधियों हेतु वे स्वयं उत्तरदायी होंगे, अर्थात् संस्थान प्रशासन की न तो कोई भूमिका होगी और न ही किसी प्रकार से उत्तरदायी होगा।
2. संगठनात्मक क्रियाकलापों हेतु संस्थान के संसाधनों का उपभोग करने हेतु किसी भी एसोसिएशन/संघ/यूनियन/फोरम/संगठन/महासंघ आदि को अधिकार प्राप्त नहीं है, परन्तु आपवादिक स्थिति में सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के उनका उपभोग किया जा सकता है, तथा इस हेतु स्थापित नियम/आदेशानुसार यदि कोई शुल्क देय होगा, तो उसकी अदायगी सम्बन्धित एसोसिएशन/संघ/यूनियन/फोरम/संगठन/महासंघ आदि को करनी होगी।
3. संगठनात्मक क्रियाकलाप करते समय यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में संस्थान के कार्य तथा रोगी परिचर्या पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा संस्थान/प्रदेश सरकार की छवि भी धूमिल न होने पाए।
4. कोई भी संकाय सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी सक्षम अधिकारी से बिना पूर्व में अवकाश स्वीकृत कराये संगठनात्मक क्रियाकलाप में प्रतिभाग नहीं करेंगे, अन्यथा उन्हें अनधिकृत अनुपस्थित माना जायेगा तथा नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
5. संगठनात्मक क्रियाकलाप करते समय यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में स्थापित विधि/नियम/प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना न होने पाए, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही संस्थान/जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।


(प्रो० राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

1. अपर निदेशक।
2. संकायाध्यक्ष।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
5. चिकित्सा अधीक्षक।
6. कार्यपालक कुलसचिव।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)।
8. वित्त अधिकारी।
9. विभागाध्यक्ष, बी0एच0आई0 को संस्थान की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
10. समस्त संकाय सदस्यों, सीनियर रेजिडेन्ट्स, जूनियर रेजिडेन्ट्स, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संस्थान की वेबसाईट के माध्यम से सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।
11. समस्त सूचना पट्ट।
12. कार्यालय प्रति।


(प्रो० राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक

All Sister incharges.
All nursing officers
strictly comply please